

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233733
SG-DL-E-25022022-233733असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 472
No. 1]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 472

भाग III
PART IIIराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए

मंच और ओम्बुड्समैन) (प्रथम संशोधन) विनियम 2022

सं. एफ. 11(1938)/डीईआरसी/2021-22/7263/1878.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, उप-धारा के साथ पठित धारा 181 की उप-धारा (2) (आर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (5) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42, और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों, और पिछले प्रकाशन के बाद, "दिल्ली विद्युत् विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) विनियम, 2018", का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का गठन करता है (जो इसके बाद मूल विनियम कहे जाएंगे):

1.0 लघु शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) (प्रथम संशोधन) विनियम 2022 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2.0 मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 5 में, उप-विनियम (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होंगे: -

"

(3) मंच में अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे।"

3.0 मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 6 में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगे: -

"

6. मंच के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

(1) अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पास इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून, प्रबंधन, प्रशासन या उपभोक्ता से संबंधित समस्याओं के मामलों से निपटने का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारी हो।

परन्तु चार सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से एक सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा और एक सदस्य तकनीकी होगा।

(2) तथापि उप-विनियम (1) में, आयोग किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है उन व्यक्तियों में से, जो जिला न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं:

परन्तु जिला न्यायाधीश अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए इन विनियमों में उल्लेखित प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) कानूनी सदस्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री रखने वाला व्यक्ति होगा और उसे कानूनी मामलों को देखने का कम से कम बीस (20) वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है;

(4) तकनीकी सदस्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास कम से कम 20 साल का अनुभव हो। उसे विद्युत क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है और उपभोक्ता मामलों से संबंधित समस्याओं को निपटाने में अपनी क्षमता प्रदर्शित की हो।

(5) आवेदक की आयु रिक्ति उत्पन्न होने के दिन ऐसी होगी कि वह मंच में कम से कम तीन वर्ष के एक कार्यकाल की सेवा कर सकने के योग्य हो।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जो रिक्ति की तारीख से दो (2) साल पूर्व तक किसी भी समय पर किसी वितरण लाइसेंसधारी या होल्डिंग कंपनी या लाइसेंसधारी कंपनी की किसी होल्डिंग की सहायक कंपनी की सेवा में रहा हो:

परन्तु इस उप-विनियम के लिए, मंच के सदस्य के रूप में प्रदान की गई सेवा को एक वितरण लाइसेंसधारी की सेवा नहीं माना जाएगा।

(7) ऐसा कोई व्यक्ति जो विनियम 10 (3) में उल्लिखित किसी भी कारण से अयोग्य है या उसने 67 वर्ष की आयु पार कर ली है, मंच के लिए नियुक्त नहीं होगा या मंच का सदस्य बना नहीं रहेगा।

4.0 मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 9 में, उप-विनियम (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होंगे: -

(1) अध्यक्ष या सदस्य अपना पदभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय में कार्य करेगा:

परन्तु पात्रता की शर्तों को पूरा करने के स्थिति में मंच के अध्यक्ष या सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए तीन (3) वर्षों तक पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे और उसके आगे नहीं;

परन्तु यह कि पुनःनियुक्ति के प्रयोजन के लिए, विनियम 6 (v) के तहत आयु सीमा की शर्त लागू न हो;

परन्तु यह भी कि कोई सदस्य या अध्यक्ष, सड़सठ (67) वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी पद को धारण नहीं करेगा।

5.0 मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 15 में, उप-विनियम (11) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होंगे: -

(11) मंच के लिए गणपूर्ति की संख्या तीन होगी और प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और वोटों की समानता की स्थिति में, मंच के अध्यक्ष या अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करते हुए मंच के सबसे वरिष्ठ सदस्य, जैसाकि मामला हो, का निर्णायक मत होगा।

6.0 मूल विनियम के विनियम 39 का सम्मिलन:

निम्नलिखित विनियम मूल विनियम के विनियम 38 के बाद सम्मिलित होंगे:

"39. रियायत देने की शक्ति -

आयोग सार्वजनिक हित में और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में रियायत दे सकता है।

मुकेश वाधवा, सचिव

नोट : मूल विनियम 8 मार्च, 2018 को दिल्ली गजट, असाधारण, भाग III एन.सी.टी.डी. नंबर 463 में प्रकाशित किए गए थे।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd February, 2022

Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2022

No. F. 11(1938)/DERC/2021-22/7263/1878.—The Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred on it by sub-section (2) (r) of Section 181 read with sub-section (5) of Section 42 of the Electricity Act 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend the "Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) Regulations, 2018", (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):

1.0 Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2022.
- (2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.

2.0 Amendment of Regulation 5 of Principal Regulations:

In Regulation 5 of Principal Regulations, sub-Regulation (3), shall be substituted as under: -

“

(3) *Forum shall consist of five members including the Chairperson.*”

3.0 Amendment of Regulation 6 of Principal Regulations:

In Regulation 6 of Principal Regulations, the following shall be substituted: -

“

6. Qualifications for appointments of Chairperson and Members of the Forum

- (1) **Chairperson and Members** shall be persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of, and have experience of at least 20 years in dealing with problems relating to engineering, finance, commerce, economics, law, management, administration or consumer affairs with minimum qualification of a graduate degree from a recognized university:

Provided that out of five members (including Chairperson), One Member shall be designated as Legal Member and one Member shall be Technical.

- (2) Notwithstanding anything contained in Sub-Regulation (1), the Commission may appoint any person as the Chairperson from amongst persons who is, or has been, a District Judge:

Provided that nothing contained in these Regulations for procedure for appointment of Chairperson shall apply to appointment of a person as Chairperson who is or has been a District Judge.

- (3) The Legal Member shall be a person possessing a degree in law from a recognized university and having at least 20 years of experience in handling legal matters.

- (4) The Technical Member shall be a person possessing degree in Electrical/Electronic engineering from a recognized university having at least 20 years' experience. He shall also have adequate knowledge of power sector and have shown capacity in dealing with problems relating to consumer affairs.

- (5) The age of the applicant on the date of occurrence of vacancy shall be such that he may be able to serve at least one term of three (3) years at the Forum.

- (6) No person shall be eligible to be appointed as Chairperson of the Forum if he has been in the service of a Distribution Licensee or in the holding company or subsidiary of such holding company of a Distribution Licensee at any time during preceding two (2) years from the date of occurrence of the vacancy:

Provided that for this sub-regulation, the service rendered as a Member of the Forum shall not be considered as service of a Distribution Licensee.

- (7) No person shall be appointed to the Forum or continue to be a member if he suffers from any of the disqualifications mentioned in Regulation 10 (3) or if he has reached the age of 67.”

4.0 Amendment of Regulation 9 of Principal Regulations:

In Regulation 9 of Principal Regulations, sub- Regulation (1), shall be substituted as under: -

- (1) The Chairperson or Member shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office:

Provided that subject to fulfillment of the conditions of eligibility the Chairperson or Member of the Forum shall be eligible for reappointment for a second term upto three (3) years and no further:

Provided further that for the purpose of reappointment, the condition of age limit under Regulation 6 (5) shall not be applicable:

Provided also that no Member or Chairperson shall hold office after attaining the age of sixty-seven (67) years.

5.0 Amendment of Regulation 15 of Principal Regulations:

In Regulation 15 of Principal Regulations, sub- Regulation (11), shall be substituted as under: -

- (11) The quorum of the Forum shall be three and each member shall have one vote and in case of equality of votes, the Chairperson of the Forum or the senior most member of the Forum discharging the functions of the Chairperson of the Forum presiding over the meeting, as the case may be, shall have a casting vote.

6.0 Insertion of Regulation 39 of Principal Regulations:

Following Regulation shall be inserted after Regulation 38 of the Principal Regulations:

“39. Power of Relaxation-

The Commission may in public interest and for reasons to be recorded in writing relax any provisions of these regulations.”

MUKESH WADHWA, Secy.

Note: The Principal Regulations were published on 8th March, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 463.